संख्या– 927(1)/6/07/XIV–2/2007

प्रेषक,

पी0एस0जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सहायक गन्ना आयुक्त,
हरिद्वार/देहरादून/उधमसिंहनगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (शासनादेश संख्या 405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007–08 दिनांक 13.11.2007 के कम में)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना हेतु कुल स्वीकृत बजट (रू0 32.70 लाख) एवं अवमुक्त धनराशि (रू0 27.50 लाख) के सापेक्ष द्वितीय किश्त स्वरूप अवशेष धनराशि रू0 5.20 लाख (पाँच लाख बीस हजार रूपये मात्र), को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित विवरणानुसार, सहर्ष प्रदान करते हैं।

2) समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी करेंगे। रू0 पचास लाख की सीमा तक का जिला सेक्टर की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जाएगी।

3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए।

4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने तथा विभिन्न अन्तरग्रामीण सडक निर्माण के कार्यों के आगणन का जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं के पैनल से तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट के आधार पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय तभी किया जाए जब सम्बन्धित योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय अनुमोदित करा लिया जाए।

6) स्वीकृत धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यो/मदों पर ही तथा निर्धारित मानकों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जाए तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाए जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

7) जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रकिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

8) जिला एवम् मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण–मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।

9) निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए "तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति" बनायी जाए जो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगी।

10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

11) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग) उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्थिति की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाए।

12) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो की वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।

13) उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–103–वाणिज्यिक फसलें, 91–जिला योजना, 9102–अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या– 927(1)/06/07/XIV–2/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
4– गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5– कोषाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
6– वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7– बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह रौतेला)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–127/6/07/XIV –2/2007 दिनांक 04 जनवरी, 2008 का संलग्नक
अनुदान संख्या–30

2401–फसल कृषि कर्म
108–वाणिज्यिक फसलें,
02–अनूसचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान
0291–अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना,
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रम सं.	कार्यक्रम	उधमसिंहनगर	नैनीताल	हरिद्वार	देहरादून	योग
1	अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना	200	—	290	30	520
	योग	200	—	290	30	520

(पाँच लाख बीस हजार रूपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।